

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 31.5.2022

क - रीडर / 2022 / 400

मुकदमा नंबर 234 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मूलचंद पुत्र केसरीमल ओसवाल नाहटा 2. कैलाश पुत्र मोतीलाल ढेलडिया 3. अमृतलाल पुत्र जसराज रांका जाति ओसवाल 4. मेघाराम पुत्र भारमल गोदारा जाति जाट सभी निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. भंवरीदेवी पत्नी हेमाराम जाति 2. दिलीप कुमार पुत्र हेमाराम जाति जाट 3. दिनेश पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवसीयान समदडी रोड बालोतरा 4. अशोक कुमार कीर्ति कुमार एच.यू.एफ के कर्ता सुमित्रा देवी पत्नी अशोक कुमार 5. कीर्ति कुमार पुत्र अशोक कुमार 6. निकिता पुत्री अशोक कुमार 7. गणपतलाल शेलेश कुमार एच.यू.एफ के कर्ता गणपतलाल पुत्र मोतीलाल निवासीयान प्रसादी नगर बाडमेर कलेण्डर रोड बालोतरा 8. भरत कुमार पुत्र ढलाराम जाति माली निवासी समदडी रोड बालोतरा 9. राजेश मोतीलाल एच.यू.एफ के कर्ता राजेश पुत्र मोतीलाल जाति ओसवाल निवासी श्रीमालियो का चौक बालोतरा 10. हरीश पुत्र अमृतलाल रांका जाति ओसवाल निवासी विमलनाथ कालोनी बालोतरा 11. खीमाराम पुत्र नरसिंगजी जाति माली निवासी समदडी रोड बालोतरा 12. शंकरलाल पुत्र रणछाराम जाति देवासी निवासी साजियाली पदमसिंह 13. लाभुराम पुत्र पेमाराम देवासी निवासी जेरला 14. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल 15. मिनाक्षीदेवी पत्नी पवन कुमार जाति अग्रवाल 16. ममता पुत्री नरसिंग प्रसाद जाति अग्रवाल 17. प्रेमलता पत्नी राजेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कालोनी बालोतरा 18. मुल्तानमल पुत्र पूनमाराम जाति निवासी नाकोडा रोड जसोल तह. पचपदरा 19. महेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश जाति जैन निवासी सूरत गुजरात 20. जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश जाति जैन निवासी अहमदाबाद । 21. विपुल कुमार बागरेचा पुत्र चम्पालाल जाति ओसवाल निवासी महात्र सिन्थेटिक्स ई 249 इण्डस्ट्रील ए सैकण्ड फेस बालोतरा 22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर । 23. अशोक कुमार पुत्र तेजराज माहेश्वरी नि. रवारियों टांका बालोतरा ।



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक :-31.05.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा जसोल पटवारी क्षेत्र जसोल भू-निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा  
ि खेत खसरा नं0 1016/9 रकबा 14-08 बीघा किस्म है। विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र  
के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं  
करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर )कर  
पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार  
पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा।  
पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।



क्रमांक /रीडर/ 2022/ 401

(नरेश प्रान्नी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
(SDO) बालोतरा

दिनांक :- 31.5.22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित  
करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या  
व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें

उपखण्ड अधिकारी,  
बालोतरा  
(SDO) बालोतरा